केंद्रीय विद्यालय /Kendriya Vidyalaya
सैक्टर ए-5, पॉकेट-11 /Sector A - 5, Pocket - 11
नरेला, दिल्ली – 110040/Narela, Delhi -110040
दूरभाष नं॰ – 27787278 / 79 / Phone No. – 27787278 / 79
KV AFFILIATION NO.- 2700040 | CBSE SCHOOL CODE NO.- 89003
Website: https://www.narela.kvs.ac.in | Email: principalkvnarela@gmail.com

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

दिनांक: 16.03.2022

फा. 13/के.वि.नरेला/2021-22/8074

विद्यालय कैंटीन के लिए नियम व शर्तें

(सामान्य नियम और शर्तों के अलावा लागू)

निविदा दस्तावेज का मूल्य: रु. NIL

16-03-2022 से 07-04-2022 तक जारी

बोली सुरक्षा (ईएमडी): रु 5,000

सुरक्षा जमा: रु 5,000

केन्द्रीय विद्यालय नरेला, दिल्ली में कैंटीन चलाने के लिए FSSAI से वैद्य प्रमाण पत्र रखने वाली प्रतिष्ठित फ़र्मों से निविदा दस्तावेज़ आमंत्रित किए जाते हैं।
निविदा पूरी तरह से मोहरबंद लिफाफे में प्राचार्य को संबोधित करते हुए केन्द्रीय विद्यालय नरेला, दिल्ली -40 पर स्पीड पोस्ट / कोरियर/हाथों-हाथ दिनांक 07.04.2022 समय 12 बजे तक पहुँच जानी चाहिए। निविदा दिनांक 08.04.2022 को अपराह 02 बजे खोली जाएंगी। विद्यालय में विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों की संख्या लगभग 1300 है।

सेवा में

____

____

____

प्राचार्य / Principal
केंद्रीय विद्यालस / Kendriya Vidyalaya
नरेला / Narela
दिल्ली / Delhi-110040

निविदा दस्तावेज: (खुली निविदा पूछताछ)

(कैंटीन)

विषय: सेवा अनुबंध के माध्यम से (कैंटीन) प्रदान करने वाले सेवा प्रदाता की सेवा लेने हेतु बोली (खुली निविदा पूछताछ) के आमंत्रण के लिए नियम एवं शर्तें और निविदा दस्तावेज।

महोदय/महोदया

केन्द्रीय विद्यालय नरेला, दिल्ली, केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा प्रशासित एक नागरिक क्षेत्र का विद्यालय है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन, समाज पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत, मानव संसाधन एवं विकास मन्त्रालय भारत सरकार के अधीन एक केंद्रीय पूर्णवित्त पोषित स्वायत्तशासी निकाय है। संगठन केंद्रीय विद्यालय की योजना को स्थानांतरणीय केंद्र सरकार / परियोजनाओं / रक्षा कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रशासित करता है।

केन्द्रीय विद्यालय नरेला, दिल्ली द्वारा, जैसा कि नीचे बताया गया है, कार्य-आदेश जारी करने की तिथि से एक साल की अवधि के लिए सेवा-अनुबंध के माध्यम से विद्यालय में कैंटीन सुविधा प्रदान करने हेतु प्रतिष्ठित एवं पंजीकृत सेवा-प्रदाता फर्म से मुहरबंद प्रतिस्पर्धी बोलियों (खुली निविदा पूछताछ) को आमंत्रित किया गया है: -

1. अनुबंध, अनुबंध की तिथि से प्रारम्भ के एक वर्ष तक वैध रहेगा तथा इसके पश्चात आवश्यक होने पर आपसी सहमति से आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।
2. विद्यालय कैंटीन के संचालन हेतु ठेकेदार के पास वैध भोजन की व्यवस्था या आवश्यक अनुज्ञा-पत्र या अनुमति (मंजूरी) पत्र होना आवश्यक है। निविदा जमा करने की तारीख तक FSSAI से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
3. मूल्य-सूची (Annexure-I) इस अनुबंध के साथ संलग्न है जो कि एक वर्ष के लिए वैध होगी। विद्यालय में कैंटीन हेतु ठेकेदार उन्हीं वस्तुओं की आपूर्ति करेगा जिन वस्तुओं को प्राचार्य के.वि. नरेला, दिल्ली, सीबीएसई के पत्र संख्या CBSE/JD(AHA)/CIR/2016 Dt. 06 जनवरी 2016 में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार अनुमोदित करेंगे।
4. अनुच्छेद -1 में अंकित सभी भोज्य – पदार्थों की आपूर्ति हेतु ठेकेदार जिम्मेदार होगा। कैंटीन हेतु भवन विद्यालय द्वारा किराए पर उपलब्ध कराया जाएगा। कैंटीन के उचित संचालन एवं संरक्षण हेतु ठेकेदार जिम्मेदार होगा। उपकरणों की मरम्मत एवं रख-रखाव का कार्य ठेकेदार द्वारा किया जाएगा तथा इस हेतु वह किसी प्रतिपूर्ति की मांग नहीं करेगा।
5. खराब खाने के कारण हुई बीमारी (Food poisoning) / संदूषण होने की स्थिति में ठेकेदार पूरी तरह ज़िम्मेदार होगा तथा वह (Food poisoning) / संदूषण पर होने वाले खर्च को वहन करेगा।
6. कार्य क्षमता को बनाए रखने हेतु ठेकेदार पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को नियुक्त करेगा।
7. ठेकेदार द्वारा लगाए गए सभी कर्मचारी ठेकेदार के स्वयं के कर्मचारी होंगे तथा वे (कर्मचारी) प्राचार्य, के.वि. नरेला, दिल्ली से किसी प्रकार की सुविधा की मांग नहीं करेंगे। कर्मचारियों के सामान्य व्यवहार एवं शालीन आचरण के संबंध में प्रशासन की पूरी जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।
8. सामान्य स्वास्थ्य के संदर्भ में ठेकदार अपने सभी कर्मचारियों जो किसी संक्रामक बीमारी से ग्रस्त न हो, का स्वास्थ्य पंजीकरण अनुमोदित, पंजीकृत चिकित्सक जो कि भारतीय चिकित्सीय परिषद से मान्यता प्राप्त हो, से कराकर ही कार्य पर लगाएगा।

प्राचार्य / Principal
केंद्रीय विद्यालय / Kendriya Vidyalaya
नरेला / Narela
दिल्ली / Delhi-110040

9. कैंटीन परिसर एवं रसोई में बर्तन, उपस्कर आदि की सफाई की पूरी ज़िम्मेदारी ठेकेदार की होगी। सफाई हेतु सफाई उपकरण जैसे डस्टर आदि संस्थान द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जायेंगे।

10. ठेकेदार द्वारा कैंटीन कक्ष, रसोई एवं संबंध सेवाओं में स्वच्छता एवं सफाई के ऊँचे स्तर का अनुपालन किया जाएगा तथा अपशिष्ट एवं कूड़ा-कचरा के आवधिक निस्तारण के लिए ठेकेदार एवं उनके कर्मचारी ज़िम्मेवार होंगे।

11. कैंटीन सभी विद्यालयी कार्य दिवस पर भोजन व्यवस्था हेतु खुली रहेगी।विद्यालय कार्य दिवस उपरांत अधिकतम 1 घंटे / प्राचार्य के निर्देशानुसार दिये गए समय तक खुली रहेगी।

12. प्राचार्य द्वारा जारी गेट पास के बिना ठेकेदार कोई भी सामान या स्टोर विद्यालय परिसर से बाहर नहीं ले जाएगा। यदि आपूर्ति किए जाने वाली अनुमोदित सामग्री की आपूर्ति करने में ठेकेदार विफल रहता है तो उस स्थिति में विद्यालय प्रशासन ठेकेदार की जोखिम एवं व्यय पर उन सामग्रियों की व्यवस्था करेगा।

13. बीमा नियम के अनुसार केन्द्रीय विद्यालय में ठेकेदार द्वारा काम पर लगाए गए कर्मचारियों का बीमा (Regulation & Abolition Act 1986) करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त कर्मचारी स्टाफ बीमा नियम, कामगार क्षतिपूर्ति नियम, कर्मचारी भविष्य निधि एवं पारिवारिक पेंशन फ़ंड नियम – 1952 तथा अन्य नियम जो इनके लिए समय समय पर लागू होते हैं, ठेकेदार के द्वारा प्रदान किया जाएगा।

14. ठेकेदार कैंटीन में लगाए गए सभी कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले वेतन सूची एवं उनकी कुल संख्या के.वि. नरेला, दिल्ली को मुहैया कराएगा और इसमें कोई बदलाव होने पर इसकी सूचना विद्यालय को तत्काल देगा।

15. ठेकदार द्वारा के.वि. नरेला, दिल्ली में नियुक्त कर्मचारियों के आरक्षी सत्यापित दस्तावेजों को उनकी नियुक्ति के 15 दिनों के अंदर विद्यालय में जमा करना आवश्यक है। ऐसा नहीं करने पर ऐसे कर्मचारियों को विद्यालय में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ठेकेदार द्वारा उसे अविलंब हटाकर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना होगा जिसका आरक्षी सत्यापन पूर्ण हो चुका हो।

16. के.वि. नरेला, दिल्ली को पूर्ण अधिकार होगा कि वह किसी समय कैंटीन कर्मचारियों के विद्यालय परिसर में बाहर से आते-जाते समय उनकी तलाशी ले सके। इसमें न तो ठेकेदार और न ही कर्मचारी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। ठेकेदार अपने कर्मचारियों के लिए के.वि. नरेला, दिल्ली द्वारा अनुमोदित प्रारूप में पहचान-पत्र जारी करेगा।

17. के.वि. नरेला, दिल्ली द्वारा नामित व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह कैंटीन में पकी व बिना पकी खाद्य-सामग्रियों की गुणवत्ता जाँच हेतु कैंटीन से नमूना ले सकता है। यह नमूना केवल अधिकृत व्यक्ति ही ले सकता है।

18. के.वि. नरेला, दिल्ली द्वारा कैंटीन की कार्य प्रणाली, स्वच्छता एवं संबन्धित सेवाओं की जाँच (देखरेख) के लिए कैंटीन प्रबन्धक समिति का गठन किया जाएगा। कैंटीन के रख-रखाव के संबंध में समिति द्वारा दिये गए निर्देशों के बार-बार उल्लंघन की स्थिति में प्रबंधन समिति के अध्यक्ष / सचिव को यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार के ऊपर 500/- रुपये का जुर्माना कर सकेगा जो कि ठेकेदार को कार्यालय में जमा करना पड़ेगा, इसे ठेकेदार द्वारा जमा न कराने पर यह राशि ठेकेदार द्वारा जमा सुरक्षा जमा राशि से काट ली जाएगी।

19. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि कैंटीन परिसर में कोई भी खतरनाक एवं ज्वलनशील पदार्थ अथवा जहरीला पदार्थ नहीं रखा गया है। ठेकेदार के.वि.नरेला, दिल्ली वि.वि. निधि खाता में बिड-सुरक्षा के रूप में 5000/- रुपए जमा करेगा जो कि संविदा की समाप्ति पर उसे लौटाया जाएगा।

20. सफल बोलीदाता को प्राचार्य, केवि नरेला दिल्ली को रु 5000 /- जमा करने होंगे। सुरक्षा जमा राशि अनुबंध समाप्त होने के पश्चात ठेकेदार को लौटा दी जाएगी। इस सुरक्षा जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
(क) ठेकेदार प्रबंधन द्वारा दिये गए लाइसेन्स को किसी और को नहीं देगा तथा प्रबंधन द्वारा दिये गए स्थान का उपयोग केवल कैंटीन चलाने के उद्देश्य से ही करेगा और उसके किसी भी हिस्से में किसी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकेगा।

प्राचार्य / Principal
केंद्रीय विद्यालय / Kendriya Vidyalaya
नरेला / Narela
दिल्ली / Delhi-110040

ठेकेदार केवल कैंटीन के लिए आवश्यक सामग्री ही रखेगा। वह कैंटीन की संरचना में किसी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकेगा।

(ख) ठेकेदार या उसके कर्मचारियों द्वारा विद्यालय की संपत्ति को क्षति पहुंचाए जाने की स्थिति में ठेकेदार उत्तरदायी होगा और नुकसान की क्षतिपूर्ति करेगा। इसके अलावा यदि वह क्षति रोजाना उपयोग या प्राकृतिक आपदा के कारण होने पर वह ज़िम्मेवार नहीं होगा।

(ग) के.वि.नरेला, दिल्ली ठेकेदार द्वारा कैंटीन में रखे गए सामानों के नुकसान एवं क्षति के लिए ज़िम्मेवार नहीं होगा।

(घ) कैंटीन चलाने हेतु केवल व्यावसायिक सिलिंडर ही प्रयोग में लाये जाएंगे ।

21. अनुबंध टूटने की स्थिति में दोनों तरफ से लिखित में दो महीने की पूर्व सूचना दी जाएगी। लाईसेंस अवधि की समाप्ति या उससे पहले के.वि.नरेला, दिल्ली के द्वारा कहे जाने पर ठेकेदार को शांतिपूर्वक कैंटीन परिसर खाली करना होगा और ठेकेदार विद्यालय द्वारा प्रदत्त उपस्कर व अन्य सामग्री वापस करेगा। ठेकेदार द्वारा साथ ही साथ उसके द्वारा लगाए गए उपस्कर व अन्य सामग्रियों को ले जाने के लिए स्वतंत्र होगा।
22. किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में के.वि.नरेला, दिल्ली के प्राचार्य का निर्णय अंतिम व मान्य होगा ।
23. ठेकेदार को सिर्फ के.वि.नरेला, दिल्ली में कैंटीन चलाने के लिए परिसर का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी । इसके अलावा ठेकेदार को परिसर के इस्तेमाल का कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।
24. ठेकेदार को अन्य कार्यालयों में कैंटीन चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए ।
25. ठेकेदार कैंटीन में उपयोग किए जाने वाले बर्तन, व्यावसायिक गैस कनैक्शन/सिलिंडर/ओवेन/माइक्रोवेव/फ्रिज/मिक्सर ग्राइंडर/डस्ट्बिन/खाद्य-सामग्री प्रदान करने हेतु आवश्यक वस्तु आदि का प्रबंध स्वयं करेगा।
26. ठेकेदार अपने खर्च पर कैंटीन में बैठने की व्यवस्था स्वयं करेगा ।
27. विद्यालय, कैंटीन हेतु आधारभूत सुविधाएं ही प्रदान करेगा जैसे कैंटीन के लिए कक्ष, पानी एवं बिजली की फिटिंग आदि । अन्य फिटिंग हेतु उसका अपना खर्च होगा ।
28. विद्यालय द्वारा प्रदत्त कैंटीन का किराया प्रति माह, विद्युत बिल की राशि सहित प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जमा करना होगा| विलंब की स्थिति में रु 10 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देय होगा|
29. ठेकेदार को धुएँ के निकास और कचरा निपटान के लिए एक उचित और वैज्ञानिक पद्धति की व्यवस्था करनी होगी विद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार का कूड़ा करकट नहीं फेंका जाएगा। कैंटीन के आसपास पानी का जमावड़ा ना रहे एवं उसके आसपास के क्षेत्र को साफ-सुथरा रखना ठेकेदार की प्रमुख जिम्मेदारी होगी ।
30. सभी तेल, मक्खन, मसाले और अन्य खाद्य पदार्थ एफ एस एस ए आई द्वारा अनुमोदित होने चाहिए।
31. सभी पैक खाद्य पदार्थ जैसे बिस्कुट केक आदि एमआरपी / बाजार दर से अधिक दर पर नहीं बेचे जाएंगे।
32. कैंटीन में एक्सपायरी डेट की कोई भी वस्तु न बेची जाए और न ही भंडारण में मिलनी चाहिए । उक्त वस्तु के पाये जाने नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी ।
33. केंद्रीय विद्यालय नरेला, दिल्ली-40 के अतिथि को छोड़कर किसी भी बाहरी व्यक्ति को कोई खाद्य सामग्री की आपूर्ति / बिक्री नहीं की जाएगी।
34. ठेकेदार को अपनी बोली के साथ आयकर विभाग द्वारा जारी फार्म / पैन नंबर उपलब्ध कराना होगा, पैन नंबर जमा किए बिना कोई भुगतान जारी नहीं किया जाएगा, प्रचलित कर प्रावधान के अनुसार उसके भुगतान से सभी करों की वसूली की जाएगी।
35. ठेकेदार द्वारा किचन एरिया /डायनिंग एरिया और उसकी साफ-सफाई की व्यवस्था अपनी जिम्मेवारी पर की जाएगी।
36. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि विद्यालय को सेवा प्रदान करते समय उसके कर्मचारी उचित वर्दी में हो।

प्राचार्य / Principal
केंद्रीय विद्यालय / Kendriya Vidyalaya
नरेला / Narela
दिल्ली / Delhi-110040

37. अत्यावश्यक होने पर निम्नलिखित रेडीमेड खाद्य पदार्थों का स्टॉक रखें। उपयोग की गई वस्तुओं के लिए भुगतान केवल बाजार दरों के अनुसार किया जाएगा। जैसे अमूल दूध/ मक्खन/ ब्रिटानिया बिस्किट/ केक आदि।

38. दंड विधान-

यदि भोजन की गुणवत्ता नियमों और शर्तों के अनुसार नहीं रखी जाती है या भोजन ठीक से नहीं पकाया जाता है तो भोजन का पूरा खर्च ज़ब्त कर लिया जाएगा और अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

39. बाजार में उपलब्ध सब्जी, दूध आदि सहित खाद्य पदार्थों की सर्वोत्तम और ताजी गुणवत्ता का इस्तेमाल किया जाएगा। एगमार्क और एफ एस एस ए आई द्वारा अनुमोदित सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए।

40. स्वच्छ वातावरण में पौष्टिक एवं स्वस्थ भोजन तैयार करने के लिए कैटरर को रसोई की उचित व्यवस्था करनी होगी। स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रधानाचार्य और कर्मचारियों के साथ- साथ कार्यक्रम स्थल पर आने वाले किसी भी अधिकारी द्वारा भोजन का परीक्षण किया जा सकता है।

41. शुद्ध पेयजल प्रदान किया जाये।

42. ठेकेदार द्वारा कैंटीन में अपने खर्च पर पर्याप्त संख्या में अग्निशमन यंत्र अवश्य लगवाए जाएंगे।

43. विद्यालय द्वारा भुगतान की गई दर के अनुसार बिजली और पानी के शुल्क (समानुपातिक) देय होंगे।

44. यदि निविदा की कोटेशन दरें बराबर हैं तो स्थानीय विक्रेता को वरीयता दी जाएगी।

45. बिजली (सबमीटर) - विद्यालय के समान ही दरें लागू होंगी।

46. ठेकेदार को संविदा भरने से पूर्व एक बार विद्यालय का दौरा करने का सुझाव दिया जाता है।

भवदीय-

हस्ताक्षर - प्राचार्य / Principal
केंद्रीय विद्यालय / Kendriya Vidyalaya
नाम: -मुन्ना लाल
नरेला / Narela
पदनाम: -प्राचार्य Delhi-110040
केन्द्रीय विद्यालय नरेला, दिल्ली।

KENDRIYA VIDYALAYA NARELA DELHI-110040

Terms And Condition For Vidyalaya Canteen (In Addition to General Terms & Condition Applicable)

The tender documents are invited from the reputed firms having valid certificate from FSSAI for running of Canteen at Kendriya Vidyalaya Narela, Delhi. Tender dully filled signed and stamped in sealed cover addressed to the Principal. KV NARELA, DELHI, NEW DELHI-110040 should reach latest by **12:00** PM on or before **07.04.2022** by post and will be opened on **08.04.2022** at **02:00** PM. **The strength of student and staff in the Vidyalaya is about 1300 (Thirteen Hundred)**

1. The agreement shall be valid initially for a period of 1 year from the date of agreement and thereafter it may be extended for a further period as may be necessary on mutual agreement and at the discretion of the Vidyalaya authority.
2. The contractor should have a valid food catering or any necessary license or permission required for running a school canteen. A FSSAI Certificate obtained at least 6 months before the date of submission of tender is essential.
3. The price list as attached herewith (Annexure I) is attached with this agreement and valid for 1 year. The contractor will supply only such items specifically approved by the Principal, KV NARELA, DELHI, and as directed by the CBSE for the school canteen vide letter no. CBSE/JD(AHA)/Cir/2016 Dt. January 06, 2016
4. The building for canteen will be provided on rent by the school. The contractor will be responsible for proper handling and safe custody. Repair and maintenance of the equipment will be carried out by the contractor and he will not claim any reimbursement of expenses on this account.
5. In case of any food poisoning/contamination the contractor will be held fully responsible and he will bear all the expenses caused due to food poisoning/contamination.
6. The Contractor will employ adequate number of staff in order to maintain efficiency with one women staff.
7. All person engaged by the contractor shall be the contractor's own employees and they will claim no privileges from **PRINCIPAL, KV NARELA, DELHI.** The contractor will be directly responsible for the administration of his employees as regards general discipline and courteous behaviour.
8. The contractor will get all his workers medically examined from approved Registered Medical Practitioner recognized by Indian Medical Council, to be free from communicable diseases in addition to general fitness. A copy of same may be submitted to U/S.
9. The contractor will be responsible for cleanliness of crockery, cooking utensils, furniture, fixtures and fittings, etc. in the kitchen as well as the canteen hall. The organization will not provide any cleaning materials/dusters, etc. for the same.
10. Very high standards of hygiene and cleanliness is to be maintained in the running of the kitchen, the canteen hall and connected services by the contractor and workers engaged by contractor including those responsible for collection of used utensils and periodic disposal of waste and reuse.
11. The canteen shall be opened for catering during School hours on all working days and will be closed maximum after one hour after the school hours and as directed by the principal time to time.
12. The contractor will not take out any articles from Vidyalaya premises without a Gate-Pass issued by the principal.
13. The contractor shall at his own cost, effect, as required as per the Act, necessary insurance in respect of the staff and other personnel or person to be employed or engaged by the Contractor in connection with the rendering of the aforesaid services to KENDRIYA VIYALAYA NARELA, DELHI and shall comply with the provisions of (Regulation and Abolition) Act-1986, Employees Staff

प्राचार्य / Principal
केंद्रीय विद्यालय / Kendriya Vidyalaya
नरेला / Narela
दिल्ली / Delhi-110040

Insurance Act, Workmen's Compensation Act, Payment of wage Act, The Employees Provident Fund and Family Pension Fund Act 1952, the other rules regulation and /or status that may be applicable to them now or that may be introduces.

14. The contractor will have to furnish the statement showing the name and wages of all the employees to be engaged for **KV NARELA, DELHI** canteen. Any addition/deletion must be communicated to **KV NARELA, DELHI.** At least one out of the all employees should be female.
15. The police verification documents of the persons deployed should be deposited by the contractor within 15 days of deployment to the office of KENDRIYA VIDYALAYA NARELA, DELHI, otherwise the person will not be allowed to work in the Vidyalaya and the contractor will replace him immediately with the person whose verification is completed.
16. **KV NARELA, DELHI** Shall have the right to search the Contractor's employees at any time while going out of the Vidyalaya premises and there shall be no grievances expressed/felt on this account either by contractor or his employee. The contractor will issue ID Cards to the contractor's workers in the format approved by **KV NARELA, DELHI.**
17. **KV NARELA, DELHI** nominees reserve the right to take samples of the edible/raw material from the canteen purpose of the inspection and testing with a view to maintain the quality. Such samples will however be drawn by authorized person/persons in the manner and as per procedure laid down in Govt. norms.
18. A Canteen Management Committee will be nominated by KV NARELA, DELHI to inspect and oversee functioning of Canteen with a view to ensure hygiene and sufficient service in the canteen. Un case there are repeated failures or lacuna noticed by the committee due to failure of contractor, the In-charge of the Canteen Committee with the approval of the chair can impose a fine of Rs. **500/-** as decided by Canteen Committee at one time to be recoverable from bills due to the contractor on paid in cash/ in cheque.
19. Contractor will ensure that hazardous or inflammable or any intoxicating material is not stored in the canteen premises. Electric heater, fire wood, coal is strictly prohibited.
20. The successful Contractor will deposit with **KV NARELA, DELHI** a sum of Rs.**5000/-** (Rupees Five Thousand Only) as bid security. The bid security will be refunded to the contractor on completion of contract tenure. The security deposit will bear no interest.

    a) The contractor shall not sublet or assign the license or use the space provided for running the canteen for purpose other than running canteen and shall not allow anybody or reside in the licensed premises and shall not use the same or part of it for stocking or keeping articles other than those needed for use in the canteen nor shall be made or permit to be made any structural additions and alteration to the same without written sanction of the Management.

    b) The contractor shall be responsible for all damages or losses to **KV NARELA, DELHI** property by the contractor himself or his staff and shall be liable for compensation to any such loss or damaged except to those caused by natural disaster and due to reasonable use or wear and tear.

    c) **KV NARELA, DELHI** will not be in any way responsible for any loss or damages accruing to any goods, stores or articles that may be kept by the contractor in the canteen premises including kitchen and other rooms.

    d) Only Commercial gas cylinder are to be used.
21. The contractor shall vacate the allotted premises peacefully after the expiry of the licensed period and/or earlier by the KV NARELA, DELHI and shall hand over the same to the authorized officer along with all furniture, fittings and other articles as may have been providing, from time to time and the decision of Principal, KV NARELA, DELHI shall be final and binding upon the contractor. The Contractor shall be free to remove without any damage to the KV NARELA, DELHI, property

प्राचार्य / Principal
केंद्रीय विद्यालय / Kendriya Vidyalaya
नरेला / Narela
दिल्ली / Delhi-110040

like furniture, fittings, crockery, utensils and other articles that might have been brought by the Contractor.

22. In case of any dispute the decision of Principal, KV NARELA, DELHI will be final and binding on the Contractor.
23. The Contractor has a bare permission only to run a canteen in the KV NARELA, DELHI premises during the contract period and nothing contained in this document shall be construed as demise in law of the said KV NARELA, DELHI premises or any part thereof and shall not give any legal title or interest to the Contractor.
24. The vendor should have working experience in catering or running of canteen in various offices at least of 03 years.
25. The Canteen Contractor will arrange all crockeries/utensils; Commercial Gas connection/Cylinder, oven, Microwave, Fridge, Mixer grinder, dustbins or any other gadgets/equipment for the purpose of making serving food items, cooking food by coal is not permitted.
26. The Contractor shall make all standard seating arrangements at own cost.
27. Vidyalaya shall provide the basic amenities like water and electrical fitting, Basin and the room for canteen. All other fixture and fittings shall have to be arranged by the contractor.
28. The Contractor shall have to pay the electricity bill as per the meter reading and at the rate charged by ASEB/HPCL to the Vidyalaya before 10th of every month. In case the bill is delayed, Rs. 10 per day will be charged.
29. The Contractor shall have to arrange a proper and scientific method for smoke outlet and garbage disposal. No garbage will be disposed at Vidyalaya campus. It will be sole and prime responsibility on the part of the contractor to keep the surrounding of the canteen clean and hygiene. No water logging at the outlets shall have to be cleared immediately.
30. All oils, butter, spices and other edible items must be FSSAI/Agmark approved.
31. All packed food like biscuits/cakes etc. to be sold not more than MRP/ Market Rate.
32. No items of expiry date should be sold or found in canteen at any time. Legal action may be initiated as per rules if found any such case.
33. No supply/ selling is to be provided to any outsiders except Guest of KV NARELA, DELHI.
34. Contractor should provide firm PAN Number issued by Income Tax Department along with his quote. No payment will be released without submission of PAN Number. All taxes will be recovered from his payment as per tax provision in vogue.
35. The Contractor will make arrangement for cleanliness of kitchen area, dining area and its surrounding to the satisfaction of KV NARELA, DELHI.
36. The Contractor will ensure that his employees will be in proper uniform at the time of providing services to the Vidyalaya.
37. Keep stock of following of readymade/packed food items in case of urgency. The payment will be made for used items only as per the market Rates: a) Amul Milk, b) Fresh Bread, c) Butter (Britania) Cake, etc.
38. Penalty Clause:
    i) If quality of food is not maintained as per terms and conditions or food is not cooked properly, entire meal cost will be forfeited and contract may be terminated.
39. Best and fresh quality of food materials including Vegetable, Milk, etc. available in market are to be used. AGMARK and FSSAI approved material should only be used.
40. The caterer should make proper kitchen arrangement for preparing nutrition and healthy food in hygienic environment. To ensure neat and hygienic environment the food will be tested by the Principal and Staff as well as any official visiting the venue.
41. Purified Drinking Water.
42. Fire Extinguisher must be installed in canteen in sufficient number by Contractor at his own cost.
43. Electricity and water charges as per rate paid by Vidyalaya (on pro-rata basis).

प्राचार्य / Principal
केंद्रीय विद्यालय / Kendriya Vidyalaya
नरेला / Narela
दिल्ली / Delhi-110040

44. If the quotation rates of tender are tie then the preference will be given to local vender.
45. Electricity (Sub-meter)- same rate as applicable to vidyalaya.
46. The caterer is advised to visit the vidyalaya before filling up of tenders.

प्राचार्य / Principal
केंद्रीय विद्यालय / Kendriya Vidyalaya
नरेला / Narela
दिल्ली / Delhi-110040

Tender form to be submitted by the Tenderer.

1. Name of the Tenderer____________________________________

2. Address____

3. Registration/Licence No.__________________________________

(Attested Photostat copy of license issued by the local authority should be attached or copy of the letter pad or bill book may be attached)

4. Sales Tax No. (Attested Photocopy of Sales Tax Certificate should be attached) /PAN/VAT/GST (WHICH EVER IS APPLICABLE)

5. Year of Establishment____________________________________

6. Contacts executed till date

(Nature there/of): Govt. Semi Govt./Private

Please give details of contracts executed in a separate sheet, along with documentary proof if any there/of)

i)

ii)

iii)

7. Present assignment in hand: Govt./Semi. /Private

i)

ii)

iii)

8. All the items and conditions, as mentioned in the Tender Form are acceptable to me/us.

Date: ____________________________ Signature of the Tenderer with stamp.

KENDRIYA VIDYALAYA NARELA, DELHI -40

LIST OF ITEMS FOR VIDYALAYA CANTEEN FOR THE YEAR 2022-23

S.NO	Name of the Article with full description	Rate
1	Tea Special, 150ml	10.00
2	Coffee espresso, 150ml	15.00
3	Samosa with chatani/sauce with filling potato, peas, 75gm	10.00
4	Paneer pakora per 100gm	20.00
5	Mix pakora per 100gm	20.00
6	Bread pakoda with filling potatoes and onion 150 gm	15.00
7	Idli 2 pieces with sambhar 250 gm and coconut chatani	30.00
8	Vada 2 pieces with sambhar 250 gm	30.00
9	Cold Drink/Chips/Wafers/Biscuits as per market rate	As per Market Rate
10	Rice and Rajma 250 gm	40.00
11	Breakfast 6 Puri, sabji and tea	40.00
12	Breakfast 2 parantha, sabji & tea	25.00
13	Boiled sweet milk full cream 200 ml	15.00
14	Chhole, 2 Bhature with pickle	40.00
15	Sandwich Veg.	15.00
16 (a)	**BREAKFAST**: 200 ml Milk, Bread & Butter + Jam 08 pcs, Idli (Sambhar + Chatni)=08 Pcs or Aaloo parantha=02pcs and Fruit (Banana = 02 pcs and Fruit (Banana=02/Apple=01) and Eggs (Boiled) =02 Pcs.	80.00
(b)	**Mini Breakfast**: 200 ml Milk, Bread & Butter 04 pcs, or Aaloo parantha=02 pcs and Fruit (Banana=01/Apple=01) and Eggs (Boiled) =01 Pcs.	60.00
17 (a)	**LUNCH**: Chapati (Tawa Roti), Rice, Dal/Rajama/Chana, Mixed vegetable (Seasonal) Paneer for vegetarians), Raita, salad, papad, pickles,sweet and chicken/fish for non-vegetarians	120.00
(b)	LUNCH: 4 Chapati (Tawa Roti), Rice, Dal, Vegetable (Seasonal),Paneer,Vegetable, salad, papad, pickles.	100.00
18 (a)	**EVENING SNACKS:** Juice-200 ml & Tea with snacks (i.e. Sandwich/ samosa/ Aaloo Bonda=02 Pcs)	30.00
(b)	**EVENING SNACKS:** Juice-200 ml or Tea with snacks (i.e. Sandwich/ samosa/ Aaloo Bonda/Biscut packet=01 Pcs)	30.00
19(a)	**DINNER:** Chapati (Tawa Roti), Rice, Dal/Rajama/Chana, Mixed vegetable (Seasonal) Paneer for vegetarians), Raita, salad, papad, pickles, sweet and chicken/fish (for non-vegetarians) & Sweet, **NIGHT** : Milk with sugar- 200 ml	120.00
(b)	**DINNER:** 4 Chapati (Tawa Roti), Rice, Dal, Mixed vegetable (Seasonal) & Paneer vegetable,salad, papad, pickles & Sweet.	100.00
20	**Canteen Rent (including water charges) per month (to be filled by the vendor)**	------

Note: The caterer / contractor has to fill only the canteen rent including water charges.

प्राचार्य / Principal
केंद्रीय विद्यालय / Kendriya Vidyalaya
नरेला / Narela
दिल्ली / Delhi-110040